न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 570–तीन/2002 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2002– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 56/2000–01 निगरानी

नानकराम पुत्र प्रभूदयाल
गोला पूर्व ब्राहमण
ग्राम जेतपुर तहसील जौरा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 18–1 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 51/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–1–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार जौरा ने प्रकरण कमांक 3/1992–93 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 7–4–1994 से ग्राम जैतपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 151/2 मिन रकबा 7 वीघा 3 विसवा में से 3 वीघा 11 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) आवेदक के हित में म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि–स्वामी अधिकारों का

प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये । नायव तहसीलदार के प्रकरण की जांच करने पर प्रथम दृष्टया अनियमितातायें पाये जाने से कलेक्टर मुरैना ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 51/99-2000 पंजीबद्ध किया तथा भूग्रहीता की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30-12-2000 पारित किया एंव नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 7-4-1994 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी किये जाने पर प्रकरण कमांक 56/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-2002 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-4-94 के विरूद्ध 6 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर आदेश पारित किया गया है जो अनुचित विलम्ब से है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार के व्दारा भूमि के आवंटन में अनियमितता करने की जानकारी जिला प्रशासन के ध्यान में शिकायत प्राप्त होने पर आई है और यह आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना जांच हेतु कलेक्टर मुरैना को प्राप्त हुई है । शिकायत की जांच डिप्टी कलेक्टर मुरैना व्दारा करके कलेक्टर मुरैना को प्रतिवेदन दिनांक 16-6-2000 प्रस्तुत करने पर स्वमेव निगरानी दर्ज हुई है। माननीय उच्च न्यायालय (डी0बी0) व्दारा मुलायम सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध बुधुवा चमार तथा

अन्य 2002 रा0नि0 250 में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा-50 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण अधिकारी के ध्यान में शून्य अंतरण लाने के ठीक पश्चात् प्रयुक्त की गई - यह युक्तियुक्त समय के भीतर है। अतः कलेक्टर मुरैना ने डिप्टी कलेक्टर मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 16-6-2000 पर से नायब तहसीलदार व्दारा भूमि बन्टन में की गई अनियमितता अभिज्ञान में आने पर पुनरीक्षण प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही की गई है जिसे अवधि-वाधित नहीं माना जा सकता और इन्हीं कारणों से आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि कलेक्टर मुरैना ने आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 51/99-2000 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.12.2000 का पद-2 इस प्रकार है :-

" अनावेदक व्दारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में जबाव प्रस्तुत किया गया। अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदक व्दारा अपने जवाव में उल्लेखित किया गया है कि यह भूमि उसे अतिकामक होने के कारण बंटित की गई है।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कलेक्टर मुरैना ने आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया है एंव आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित रहकर अंतिम तर्क प्रस्तुत किये है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

6/ कलेक्टर मुरैना के प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 2-10-84 से कब्जा नहीं है क्योंकि खसरा सम्बत् 2050 अर्थात 1993 में

प्रथमवार पटवारी ने खसरे में आवेदक का कब्जा दर्ज किया है, स्पष्ट है कि कब्जे के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार ने भलीभॉति जांच किये बिना अपात्र आवेदक के हित में भूमि बंटन किया है। आवेदक के पास पूर्व से कितनी भूमि है, नायव तहसीलदार ने जांच नहीं की है जिसके कारण कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 30-12-2000 से नायव तहसीलदार का बंटन आदेश निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 56/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.-1-2002 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधार-हीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 56/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-2001 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर